कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था./2018 दिनांक 19.05.2018 द्वारा श्री विजय कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय माकरोड़ा, सिरोही का स्थानान्तरण राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय माडिया जिला सिरोही किया गया था जिसके विरूद्ध श्री विजय कुमार शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 8217/2018 विजय कुमार शर्मा बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 13.06.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 19.05.2018 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय की आगामी सुनवाई तक स्थगित किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में श्री विजय कुमार शर्मा माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय माकरोड़ा, जिला सिरोही में प्रधानाचार्य के पद पर पूर्ववत कार्यरत रहेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/विजय शर्मा/एस.बी.सि.या./8217/2018 दिनांक 13.02.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली संभाग, पाली।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, सिरोही।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) सिरोही।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जोधपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 19.06.2018 द्वारा श्री गोविन्द राम शर्मा प्रधानाचार्य, राउमावि आसावरा, भदेसर जिला चित्तौडगढ का स्थानान्तरण राउमावि रेन्टा, जोंतरी जिला डूंगरपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री गोविन्द राम शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं 1929/2018 गोविन्द राम शर्मा बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य आदेश दिनांक 19.06.2018 को अपास्त करते हुए अपीलार्थी को विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन पेश करने और सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) से निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को देने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होने एवं विद्यालय उन्नयन हेतु किये गए कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए जयपुर शहर अथवा राउमावि आसावरा, भदेसर जिला चित्तौड़गढ में प्रधानचार्य एवं समकक्ष के रिक्त पद पर पदस्थापित किये जाने सम्बन्धी परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के नियमों/परिपत्रों/दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया व उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। याचिकार्थी को विभागीय आदेश दिनांक 21.08.2018 द्वारा पुनः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसावरा, भदेसर जिला चित्तौडगढ़ में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया जाकर अनुतोष प्रदान किया जा चुका है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/गोविन्द शर्मा/अपील/1929/2018 दिनांक 13.02.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, चित्तौडगढ़।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) चित्तौडगढ़।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. सम्बन्धित कार्मिक/अपीलार्थी।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

P001

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांकः शिविरा / माध्य / संस्था / बी–2 / 45002 / प्रधाना.स्था. / 2018 दिनांक 19.06.2018 द्वारा श्री जालाराम बिश्नोई, प्रधानाचार्य आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झाब, चितलवाना जिला जालौर का स्थानान्तरण राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय–चौराऊ, सायला जिला जालौर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री जालाराम द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 2110 / 2018 जालाराम बिश्नोई बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 19.06.2018 को अपीलार्थी श्री जालाराम बिश्नोई की सीमा तक एतद्द्वारा अपास्त किये जाने के फलस्वरूप श्री जालाराम बिश्नोई आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झाब, चितलवाना जिला जालौर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा. / संस्था / बी–2 / जालाराम बिश्नोई / अपील / 2110 / 2018 दिनांक 13.02.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली संभाग, पाली।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जालौर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) जालौर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित कार्मिक / याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।
9. निजी / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

P001

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 3222/2018 नीलम महावर बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर व अन्य प्रकरण में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.10.2018 द्वारा अपीलार्थिया नीलम महावर की अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र को बलहीन एवं सारहीन होने के आधार पर खारिज करते हुए न्यायहित में अपीलार्थिया को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में मय प्रमाणों के विभाग के सक्षम अधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन पेश करने और सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये गए।

नीलम महावर को कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/डीपीसी/2018–19/पदस्थापन/द्वितीय दिनांक 16.07.2018 द्वारा प्रधानाध्यापक राबामावि आंधी जिला जयपुर से पदोन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनके सहमति पत्र में अंकित विकल्प के आधार पर राउमावि मथुराहेड़ा, कठूमर जिला अलवर में पदस्थापित किया गया था किन्तु राउमावि मथुराहेडा में प्रधानाचार्य पद पर दोहरा पदस्थापन हो जाने से श्रीमती नीलम महावर का पदस्थापन स्थान कार्यालय आदेश दिनांक 24.07.218 द्वारा संशोधित कर राउमावि राजगढ़ जिला अलवर किया गया जहां पर नीलम महावर द्वारा दिनांक 01.09.2018 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में परिवेदना प्रस्तुत की गई कि परामर्श शिविर के समय उनके गृह जिले जयपुर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद प्रदर्शित नहीं किये गए जिसके कारण उनके द्वारा अलवर जिले में पदस्थापन हेतु अपनी सहमति दी गई एवं विवश होकर माननीय अधिकरण की शरण लेनी पड़ी। प्रार्थिया द्वारा एकल महिला होने एवं अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अपना पदस्थापन स्थान संशोधित कर जयपुर जिले में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर पदस्थापित किये जाने की मांग की गई है।

अपीलार्थिया के अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। परामर्श शिविर के समय जयपुर मण्डल में अलवर जिले के प्रधानाचार्य के 4 पद रिक्त थे। अपीलार्थिया को उनके एकल महिला होने के आधार पर ही उच्च वरीयता प्रदान की जाकर उनकी काउन्सलिंग की गई थी एवं उनकी सहमति के आधार पर ही अलवर जिले में पदस्थापित किया गया था। जहां तक अपीलार्थिया के गृह जिले के रिक्त पदों को काउन्सलिंग में प्रदर्शित नहीं किये जाने का प्रश्न है तो काउन्सलिंग प्रक्रिया में प्रशासनिक आवश्यकता एवं विभागीय हित को ध्यान में रखकर ही रिक्तियों को प्रदर्शित किया जाता है। विभाग द्वारा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में पदों को भरने के प्रयास अनवरत रूप से यथासंभव किये जाते रहें हैं ताकि इन जिलों में शैक्षिक व्यवस्था को सुचारू रूप से नियोजित किया जा सके। **अपीलार्थिया से उच्च वरीयता धारित सरोज कुमारी (वरि. क्रमांक–607/2010–11) को भी गृह जिले से बाहर अलवर जिले में पदस्थापन मिला है।** अतः गृह जिले में पदस्थापन सम्बन्धी उनकी मांग उचित नहीं है।

प्रधानाचार्य एवं समकक्ष का पद राज्य सेवा का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण में दिए गए निर्णय के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक को सरकार अथवा विभागाध्यक्ष राज्य व छात्र हित में कहीं पर भी पदस्थापित करने हेतु सक्षम है। इसी अनुरूप चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण अपीलार्थिया नीलम महावर, प्रधानाचार्या राउमावि राजगढ़ जिला अलवर का अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/नीलम महावर/अपील/3222/2018 दिनांक 13.02.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, अलवर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, अलवर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. अपीलार्थिया नीलम महावर, प्रधानाचार्या, रामावि–राजगढ़, अलवर।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)